समक्ष एस.एस. सोढ़ी और अमरजीत चौधरी जे.जे.

एच.के. चोपड़ा,-याचिकाकर्ता,बनाम

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ और अन्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1990 का 14764.

21 जनवरी 1991.

*भारत का संविधान,*1950—कला. 226—पंजाब मेडिकल पंजीकरण अधिनियम, 1916—एस. 13—जनहित याचिका—एक व्यक्ति इस आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकृत होने के लिए एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पात्रता पर सवाल उठा रहा है कि वह ब्रिटिश मेडिकल अधिनियम के तहत पंजीकृत था—पंजाब मेडिकल कॉलेज द्वारा लंदन में पंजीकरण स्वीकार किया गया—उम्मीदवारी को अवरुद्ध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल की गई याचिका पदोन्नति के लिए डॉक्टर की - कष्टकारी कार्यवाही - दुर्भावनापूर्ण इरादे - रुपये की दंडात्मक लागत के साथ खारिज की जाने वाली याचिका। 5,000.

*आयोजित,*पंजाब मेडिकल पंजीकरण अधिनियम, 1916 की धारा 13 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो ब्रिटिश मेडिकल अधिनियम के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत होने के लिए योग्य है, वह पंजाब अधिनियम के तहत पंजीकृत होने का भी हकदार है। जनरल मेडिकल काउंसिल, लंदन का प्रमाणपत्र डॉ. दिलावरी को ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत करता है। इसे पंजाब मेडिकल कॉलेज ने भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे अपने पत्र में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति है. पंजाब मेडिकल पंजीकरण अधिनियम, 1916 के तहत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में डॉ. जेबी दिलावरी के पंजीकरण में वास्तव में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

(पैरा 4 और 5)

*आयोजित,*याचिकाकर्ता का आचरण और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री इस तथ्य पर विश्वास करती है कि जनहित याचिका की आड़ में, याचिका प्रोफेसर पद के लिए डॉ. दिलावरी के प्रतिद्वंद्वियों के हितों की मदद करने के लिए बनाई गई थी, ताकि उनकी उम्मीदवारी को रोका जा सके। इस डिवाइस द्वारा. इसलिए वर्तमान कार्यवाही को कष्टप्रद नहीं कहा जा सकता है और तदनुसार याचिकाकर्ता रुपये की दंडात्मक लागत के साथ बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। 5,000.

(पैरा 6 एवं 7)

*अनुच्छेद के तहत याचिका*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देशित करने के लिए परमादेश, सर्टिओरारी, निषेध या किसी अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश की एक रिट जारी की जाए।

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना;

*(ii) का एक रिट*प्रतिवादी संख्या 6 को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए;

*(हाय) का एक रिट*पीजीआई में विभिन्न पदों के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 6 के गठन को अवैध और यहां ऊपर वर्णित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत घोषित करते हुए परमादेश जारी किया जाए;

*(iv) प्रतिवादी संख्या को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी की जाए।*6,—अनुलग्नक पी/ll के माध्यम से;

*(v) का एक रिट*प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा रजिस्ट्रार के पद पर बने रहने को अवैध और असंवैधानिक और पंजाब मेडिकल पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत घोषित करते हुए परमादेश जारी किया जाए;

*(vi) प्रतिवादी संख्या को अनुमति देने से प्रतिवादियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा रिट जारी की जाए।*6 पीजीआई में किसी भी पद के विरुद्ध किसी भी कर्तव्य का निर्वहन जारी रखने के लिए

*(vii) उत्तरदाताओं की कार्रवाई की घोषणा करने के लिए*4 और 5 डॉ. जेबी दिलावरी को उनके गैर-पंजीकरण के बारे में विशिष्ट नोटिस के बावजूद कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखने की अनुमति देने और भारत के मेडिकल काउंसिल द्वारा अवैध के रूप में निर्धारण के बारे में;

(viii) प्रतिवादी संख्या को पूर्वव्यापी प्रभाव से पंजीकरण की अनुमति दी गई।¬6 को पंजाब मेडिकल पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध और अक्षम मानते हुए रद्द किया जाए;

(ix) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित और उचित समझे और ऐसे सभी अन्य लाभ प्रदान कर सकता है जिनके लिए याचिकाकर्ता हकदार पाया जा सकता है;

*(x) याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी/एल की मूल प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए*पी/18;

(xi) याचिकाकर्ता को इस समय उत्तरदाताओं पर सेवा के लिए रिट याचिका की प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जानी चाहिए;

(xii) याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V के तहत आवश्यक पांच दिनों का नोटिस देने से छूट दी जाए;

(xiii) याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील आरएस चीमा।

प्रतिवादी संख्या 6 के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वीके बाली, अधिवक्ता अनिल खेतरपाल के साथ।

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के लिए एसएस निज्जर, वरिष्ठ अधिवक्ता, (राजन गुप्ता, अधिवक्ता)।

प्रलय

(1) इस याचिका से दुर्भावनापूर्ण इरादे की बू आती है। याचिकाकर्ता, जो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार होने का दावा करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकृत होने और इसके परिणामस्वरूप पोस्ट ग्रेजुएट में एसोसिएट प्रोफेसर का पद संभालने की उनकी योग्यता या प्रतिवादी संख्या 6 डॉ. जेबी दिलावरी की योग्यता पर सवाल उठाना चाहता है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़। कार्रवाई के इसी कारण पर, पहले डॉ. दिलावरी के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे 10 फरवरी 1989 को खारिज कर दिया गया था।¬¬

जून 1989 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण अभी भी इस न्यायालय में लंबित है, उसने अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन कार्यवाही का सहारा लिया है।

(2) हालाँकि, सबसे पहले, डॉ. जेबी दिलावरी की योग्यताओं को सूचीबद्ध करना प्रासंगिक होगा। ये हैं:-

1. अर्ज़्टिचे प्रुफुंग (एमबीबीएस)) मुनीश विश्वविद्यालय, जर्मनी 1962
2. एमडी मुनीश यूनिवर्सिटी 1966
   (यह डिग्री मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 की दूसरी अनुसूची के पैरा 2 में शामिल है)।
3. एमआरसीपी (लंदन)1970
4. एलआरसीपी, एमआरसीएस (लंदन))971
   [एमआरसीपी (लंदन) और एलआरसीपी, एमआरसीएस (लंदन) दोनों भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएं हैं और भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 में भी उल्लिखित हैं।
5. रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से एफआरसीपी (लंदन)।
6. नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (भारत) से RAMS।

(3) यह देखा जाएगा कि डॉ. दिलावरी को प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए पात्र बनाने के लिए ये योग्यताएं पर्याप्त हैं और वास्तव में अपेक्षित से कहीं अधिक हैं।¬

(4) इसके अलावा, पंजाब मेडिकल पंजीकरण अधिनियम, 1916 की धारा 13 के अनुसार,

प्रत्येक व्यक्ति जो ब्रिटिश मेडिकल अधिनियम के तहत पंजीकृत है या पंजीकृत होने के लिए योग्य है, वह भी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने का हकदार है। जैसा कि अनुलग्नक आर-6/7 से स्पष्ट होगा, जनरल मेडिकल काउंसिल, लंदन से प्रमाण पत्र। डॉ. दिलावरी 21 मई, 1971 से ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं। इसे पंजाब मेडिकल कॉलेज ने भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने संचार, अनुलग्नक आर-6/7 में स्वीकार किया है।

(5) ऐसी स्थिति होने पर, पंजाब मेडिकल पंजीकरण अधिनियम, 1916 के तहत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में डॉ. जेबी दिलावरी के पंजीकरण में वास्तव में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

(6) इस मामले में याचिकाकर्ता की भूमिका और आचरण की ओर मुड़ते हुए, प्रतिवादी -6 द्वारा दायर रिटर्न में बताई गई परिस्थितियां और पृष्ठभूमि और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री वास्तव में वकील श्री वीके बाली के तर्क को विश्वसनीयता प्रदान करती है। प्रतिवादी 6 के लिए कि न्यायालय द्वारा जनहित याचिका की आड़ में डॉ. सरोज मेहता की नियुक्ति को खारिज कर दिए जाने पर प्रोफेसर के पद को जल्द भरने की संभावना के संदर्भ में, यह पूरी कवायद तैयार की गई थी। इस पद के लिए डॉ. दिलावरी के प्रतिद्वंद्वियों के हितों की मदद करने के लिए, इस उपकरण द्वारा उनकी उम्मीदवारी को अवरुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। इस आलोक में देखा जाए तो वर्तमान कार्यवाही को कष्टप्रद करार दिया जा सकता है।

(7) हम तदनुसार इस रिट याचिका को खारिज करते हैं और रुपये का जुर्माना लगाते हैं। याचिकाकर्ता पर दंडात्मक लागत के रूप में 5,000 (केवल पांच हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा